# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)

## पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

| मिसल न. | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 132 / 2009 | 25 / 11 / 2009 | 18/4/2023 |

मोहम्मद हुसैन पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी इटावा जिला कोटा (राज) मृतक जरिये कायम मुकाम –

1/1 मोहम्मद अब्बास पुत्र मो0 हुसैन जाति मुसलमान निवासी इटावा जिला कोटा (राज.)

1/2 हुस्नोबानो पत्नि मो0 हुसैन जाति मुसलमान निवासी इटावा जिला कोटा (राज)

वादीगण

बनाम

1. लुकमान हकीम पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी पानी की टंकी के पास इटावा जिला कोटा (राज.)
2. अब्दुल सत्तार पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी पानी की टंकी के पास इटावा जिला कोटा (राज.)
3. जेबून्निसा पुत्री सुलेमान पत्नि स्व. अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी मांगरोल जिला बारां (राज.)
4. यासीन मोहम्मद पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास वार्ड सं. 16 इटावा जिला कोटा (राज.)
5. ग्राम पंचायत इटावा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत इटावा जिला कोटा (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

## निर्णय

प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम इटावा की जमाबन्दी सवत् 2029 – 2032 की खाता सख्या 562 में खसरा संख्या 1992 / 1962 रकबा 5 बीधा व खसरा संख्या 1994 / 1963 रकबा 5 बीधा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीधा भूमि सुलेमान पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी इटावा की गैर खातेदारी में दर्ज है। प्रमाण पत्र नं0 64 / 80 दिनांक 20 / 6 / 1963 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 427 से खसरा संख्या 1992 / 1962 रकबा 5 बीधा भूमि एवं प्रमाण पत्र न0. 66 / 80 दिनांक 20–6–1963 द्वारा नामान्तरकरण सं0 421 से खसरा संख्या 1994 / 1963 रकबा 5 बीधा भूमि सुलेमान की

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

खातेदारी में दर्ज की जा चुकी है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि कहां गया है। खातेदार सुलेमान पुत्र मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 28/10/1977 को हो चुकी है। जिनके विधिक उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 – 4 है। विवादित भूमि की मौखिक वसीयत सुलेमान द्वारा अपने जीवनकाल में साक्षीगण के समक्ष वादी के पक्ष में की जा चुकी है। जिसके फलस्वरुप वादी दिनांक 28/10/1977 में आज तक विवादित भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज है। प्रतिवादी क्रम 1 – 4 को सुलेमान के विधिक उत्तराधिकारी होने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने बाबत पक्षकार बनाया गया है। विवादित भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 – 4 का कोई हक अथवा कब्जा नहीं है। विवादित भूमि का ख.नं. 1992/ 1962/ 1698 तथा 1994/1963/1698 का इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरान , खसरा संख्या 1698 से बने थे। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा विवादित भूमि के गत खसरा संख्या के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा संख्या 2582 रकबा 0.58 है0, खसरा संख्या 2583 रकबा 0.65 है0, खसरा संख्या 2584 रकबा 0.20 है0, खसरा संख्या 2623 रकबा 0.13है0 पैमूद किये गए किन्तु वादी की खातेदारी में दर्ज न की जाकर चारागाह के रुप में दर्ज कर दी गई जबकि वादी अपने सेटलमेन्ट से पूर्व के रकबे के मुताबिक ही 1.60 है. भूमि पर वर्तमान में भी शांतिपूर्ण काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों में उक्तानुसार त्रुटि कारित कर चारागाह के खाते दर्ज करे। जबकि वादी को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय श्रीमान की सहायता से उक्त भूमि स्वयं की खातेदारी में दर्ज करावे। तदर्थ वाद सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि चारागाह दर्ज होने से प्रतिवादी क्रम 6 तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रतिवर्ष वादी के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इस प्रकार वादी को निरर्थक कार्यवहियों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अन्य प्रतिवादीगण के प्रति भी वादी को आशंका है कि वे विवादित भूमि पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में बाधा व व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि वे स्वयं अथवा जर्ये प्रतिनिधि विवादित भूमि पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाध ा एवं व्यवधान उत्पन्न नही करें। ग्राम पंचायत इटावा को धारा 109 पंचायतीराज नोटिस अधिनियम का नोटिस दिनांक 06/08/2009 को दिया जा चुका है। अंत में निवेदन किया कि वादी को ग्राम इटावा की भूमि खसरा संख्या 2582 रकबा 0.58 है0, खसरा संख्या 2583 रकबा 0.65 है0, खसरा संख्या 2584 रकबा 0.20 है0, खसरा संख्या 2623 रकबा 0.13 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर तदुनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे वे स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधि विवादित भूमि में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार कोई बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीक्रम 1, 2, 3 की ओर से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर दावा वादी डिक्री फरमाने की प्रार्थना की गई ।प्रतिवादीक्रम 4 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुये वाद में वर्णित सेटलमेन्ट त्रुटि को स्वीकार कर विवादित भूमि में स्वयं को 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई तथा वादी एवं प्रतिवादीक्रम 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करने की प्रार्थना की

अंजना राठावत
**उपखण्ड अधिकारी इटावा**

गई। प्रतिवादीक्रम 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्व दिनांक 12/12/2011 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई प्रतिवादी क्रम 6 तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि साबिक ख0स0 1992/1962 एवं 1994/1963 के मूल साबिक न0 1698 है जिससे बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0न0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 2579/1.80, 2581/1.01, 2582/0.58, 2583/0.65, 2584/0.20, 2623/0.13,है0 दर्ज किये गये जिसमें से कोई भी ख0न0 सेटलमेन्ट द्वारा सुलेमान की खातेदारी दर्ज नहीं किया गया और ना ही कोई अन्य रकबा आवंटी के खाते दर्ज किया गया है। जबकि ख0सं0 2579/1.80, 2581/1.01, 2583/0.65, 2584/0.20, 2623/0.13, किस्म चारगाह ग्राम पंचायत इटावा की खाते दर्ज की गई है साथ ही नक्शे में रकबा बरारी में ख0न0 2623 का रकबा 0.40है0 आता है लेकिन मिलान क्षेत्रफल में रकबा 0.13है0 ही दर्ज किया है इस प्रकार ख0स0 2623 का नक्शा एवं मौकानुसार सेटलमेन्ट द्वारा 0.27है0 रकबा कम दर्ज किया है। ख0सं0 2582/0.58है0 अन्य खातेदार के खाते एवं कब्जे में होने से वादी के खाते दर्ज नहीं की जा सकती है। खातेदार/आवंटी सुलेमान की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादीक्रम 1 ता 4 है। मौका स्थिति पर वर्तमान में 2583/0.65, 2584/0.20, 2623/0.13,है0 पर वादी का कब्जा काश्त/अतिक्रमण है जिसके विरुद्व धारा 91 की रिपोर्ट की जाती है। इस प्रकार वादी के वर्तमान ख0न0 2583/0.65, 2584/0.20, 2623/0.40, कुल 3/1.25 है0 भूमि को ही मौका स्थिति अनुसार रिकार्ड मे दर्ज किया जा सकता है। ख0 सं0 2623 के 0.27है0 बेशी रकबे को ख0 सं0 2579/1.80है0 का रकबा 1.53है0 दर्ज कर बराबर किया जा सकता है।

दावे तथा काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1– आया वादीगण मौखिक वसीयत के आधार पर ग्राम इटावा की ख0न0 2582 रकबा 0.58है0 ख0न0 2583 की रकबा 0.65है0,ख0न0 2584 की रकबा 0.20है0 ख0न0 2623 की रकबा 0.13है0 की घोषणा करवाते हुये प्राप्त करने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

2– आया वादी का वाद मुस्लिम कानून के प्रावधान के विपरीत होने से काबिले खारिजी है।

–जिम्मे प्रतिवादी क्रम 4

3– आया प्रतिवादी क्रम 4 ख0न0 2583 की रकबा 0.65है0, ख0न0 2584 की रकबा 0.20है0, ख0न0 2623 की रकबा 0.40है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25है0 वाके ग्राम इटावा में निहित 1/5 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है।

–जिम्मे प्रतिवादीक्रम 4

4. दादरसी

तनकीयात कायम होने के उपरान्त वादी द्वारा साक्ष्य वादी में मौखिक साक्ष्य में स्वयं (PW-1) के बयान करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सवत् 2029– 2032 खाता संख्या 562 प्रदर्श 1, गत नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सवत् 2062–2065 प्रदर्श 4, नवीन नक्शा प्रदर्श 5, सुलेमान का मृत्यु प्रमाण

अंजना सेहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

पत्र दिनांक 15/02/2007 प्रदर्श 6, नोटिस अर्न्तगत धारा 109 पंचायत राज अधिनियम दिनांक 06/08/2009 प्रदर्श 7 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3 द्वारा DW-1, 2, 3 के रुप में स्वयं के बयान करवाये गये। प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा दिनांक 26/06/2013 को आदेश 19 नियम 2 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र. प्रस्तुत कर DW-1, 2, 3 से जिरह करने की अनुमति मांगी गई। प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया लेकिन प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी गवाहों की तलबी नहीं करवाने से साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 12/12/2019 को बंद कर दी गई। वादी मो0 हुसैन की मृत्यु दिनांक 02/05/2020 हो जाने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वादी द्वारा पूर्व में लिखित बहस पत्रावली में प्रस्तुत की हुई है। वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक निर्णय **2016-17 (supp.) RRT Page 74 Jeevan & Ors. vs. State & Ors.** पेश किया गया। जिसके अनुसार **Land wrongly recorded as charagah- On the day of commencementof the Act, petitioner was in cultivatory possession of the land- No explanation for recording the land charagah without any order of the court- In earlier settlement land was shown in khatedari of the predecessors.**

**Nature of the land cannot be converted without order of the Competent Court.**

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। तनकीवार विवेचना निम्न प्रकार से है:-

<u>तनकी संख्या 1:-</u>

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी द्वारा बतौर साक्षी स्वयं के बयान PW-1 करवाकर दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2029- 2032 खाता संख्या 562 प्रदर्श 1, गत नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सवत् 2062-2065 प्रदर्श 4, नवीन नक्शा प्रदर्श 5, सुलेमान का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 15/02/2007 प्रदर्श 6, नोटिस अर्न्तगत धारा 109 पंचायत राज अधिनियम दिनांक 06/08/2009 प्रदर्श 7 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीक्रम 1, 2, 3 द्वारा वादी का ही पक्ष समर्थन किया गया है तथा प्रतिवादीक्रम 4 द्वारा बार-बार अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार के अवलोकन से स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट से पूर्व वादी के पिता सुलेमान की खातेदारी में दर्ज भूमि सेटलमेन्ट द्वारा चारागाह दर्ज कर दी गई है। तहसील रिपोर्ट के अनुसार वादी ग्राम इटावा की ख0न0 2583 की रकबा 0.65है0, ख0न0 2584 की रकबा 0.20है0, ख0न0 2623 की रकबा 0.40है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25है0 भूमि स्वयं के खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार यह तनकी वादी के पक्ष में तथा विरुद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2, 3 :-</u>

सुविधा की दृष्टि से दोनों तनकियों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन तनकियों सिद्ध करने का भार प्रतिवादी क्रम 4 पर था। लेकिन बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा अपने पक्ष में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी

अंजना सेहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे प्रतिवादी क्रम 4 इन तनकियों को अपने पक्ष मे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः दोनों तनकियां प्रतिवादी क्रम 4 के विरुद्ध तथा वादी के पक्ष में तय की जाती है।

4. दादरसी

तनकीवार निष्कर्ष से स्पष्ट है कि वादी अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहा है तथा प्रतिवादी क्रम 4 अपना काउन्टर क्लेम सिद्ध करने में असफल रहा है। इस प्रकार दावा वादी स्वीकार किये जाने तथा प्रतिवादीक्रम 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की कृषि भूमि खसरा संख्या 2583 रकबा 0.65है., खसरा संख्या 2584 रकबा 0.20है., खसरा संख्या 2623 रकबा 0.40है. (मौके व नक्शे के अनुसार) कुल किता 3 की 1.25है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा संख्या 2623 का रकबा वर्तमान जमाबन्दी मे 0.13है. दर्ज है जिसे जवाब सरकार के अनुसार मौके व नक्शे से रकबा बरारी करने पर 0.40है. आता हैं, जिसे 0.13है. से बढाकर 0.40है. दर्ज किया जावे। अतः खसरा संख्या 2623 मे बढे 0.27है. रकबे की कमी पूर्ति जवाब सरकार के अनुसार खसरा संख्या 2579 रकबा 1.80है. से कर खसरा संख्या 2579 का रकबा 1. 80है. के स्थान पर 1.53है. दर्ज किया जावे। तहसीलदार पीपल्दा को यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिस भूमि मे वादी को खातेदार घोषित किया जाता है वह पूर्व सेटलमेन्ट वादी की खातेदारी मे थी परंतु वर्तमान जमाबन्दी मे चारागाह दर्ज है अतः वादी को खातेदारी दी गई 1.25है. भूमि के बदले तहसील पीपल्दा के किसी उपयुक्त सिवाय चक खसरा नम्बर को, जो चारागाह से लगता हो, को चारागाह दर्ज कर न्यायालय को पालना से अवगत करावें। प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। डिक्री मुर्तिब की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
अंजना सहरावत
इटावा जिला कोटा (राज)
उपखण्ड अधिकारी इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्राई

(आ 20 रुल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)

मोहम्मद हुसैन पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी इटावा जिला कोटा (राज)
मृतक जरिये कायम मुकाम –

1/1 मोहम्मद अब्बास पुत्र मो0 हुसैन जाति मुसलमान निवासी इटावा जिला कोटा (राज.)

1/2 हुस्नोबानो पत्नि मो0 हुसैन जाति मुसलमान निवासी इटावा जिला कोटा (राज)

वादीगण

बनाम

1. लुकमान हकीम पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी पानी की टंकी के पास इटावा जिला कोटा (राज.)
2. अब्दुल सत्तार पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी पानी की टंकी के पास इटावा जिला कोटा (राज.)
3. जेबून्निसा पुत्री सुलेमान पत्नि स्व. अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी मांगरोल जिला बारां (राज.)
4. यासीन मोहम्मद पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास वार्ड सं. 16 इटावा जिला कोटा (राज.)
5. ग्राम पंचायत इटावा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत इटावा जिला कोटा (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

मिसल न0 132/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु बहाजिरी श्री कमल कुमार बंसल एडवोकेट मिनजाबिन मुद्दई रुबरु ............................ मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की कृषि भूमि खसरा संख्या 2583 रकबा 0.65है., खसरा संख्या 2584 रकबा 0.20है., खसरा संख्या 2623 रकबा 0.40है. (मौके व नक्शे के अनुसार) कुल किता 3 की 1.25है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा संख्या 2623 का रकबा वर्तमान जमाबन्दी मे 0.13है. दर्ज है जिसे जवाब सरकार के अनुसार मौके व नक्शे से रकबा बरारी करने पर 0.40है. आता हैं, जिसे 0.13है. से बढाकर 0.40है. दर्ज किया जावे। अतः खसरा संख्या 2623 मे बढे 0.27है. रकबे की कमी पूर्ति जवाब सरकार

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

के अनुसार खसरा संख्या 2579 रकबा 1.80है. से कर खसरा संख्या 2579 का रकबा 1.80है. के स्थान पर 1.53है. दर्ज किया जावे। तहसीलदार पीपल्दा को यह भी निर्देशित किया जाता है कि जिस भूमि मे वादी को खातेदार घोषित किया जाता है वह पूर्व सेटलमेन्ट वादी की खातेदारी मे थी परंतु वर्तमान जमाबन्दी मे चारागाह दर्ज है अतः वादी को खातेदारी दी गई 1.25है. भूमि के बदले तहसील पीपल्दा के किसी उपयुक्त सिवाय चक खसरा नम्बर को, जो चारागाह से लगता हो, को चारागाह दर्ज कर न्यायालय को पालना से अवगत करावें। प्रतिवादी क्रम 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक .................... को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुदायलह | रुपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजूह सबूत | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| मेहनताना वकील | | | मेहनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| मुत0 | | | मुत0 | | |
| मिलान | | | मिलान | | |

उपखण्ड अधिकारी
अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी कोटा